चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 02.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 02.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3) पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त लवलेश पुत्र स्व0 विशालीराम निवासी टिटिहरा मजरा कोटरा खाम्भा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ
2. आरक्षी राहुल पाण्डेय

(4). आज दिनाँक 02.02.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा कर्मचारीगण का टर्न आउट चैक किया गया तथा परेड ग्राउण्ड में उपस्थित सभी टोलियों की ड्रिल देखी गयी एवं आवश्यक सुधार हेतु प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन को निर्देशित किया गया।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन्स/कार्यालय/ट्राफिक श्री राज कमल, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). वर्तमान में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने व आमजनमानस को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में साइबर अपराध पीड़ितों को रोकथाम हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी कार्यालय श्री राज कमल के कुशल पर्यवेक्षण में साइबर सेल प्रभारी, निरीक्षक श्री विजय सिंह तथा उनकी टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास करते हुये माह जनवरी में कुल 08 साइबर अपराध पीड़ित व्यक्तियों के कुल 3,37,021/- रुपये अथक परिश्रम कर उनके खातों में वापस कराये गये हैं।

साइबर सेल में नियुक्त साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक श्री विजय सिंह, आरक्षी सर्वेश कुमार, आरक्षी प्रशांत कुमार द्वारा अथक प्रयास करके 08 पीडितों का रुपया बरामद कराया गया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में आम जनमानस द्वारा बैंक आने जानें व बैंकिग औपचारिकताओं में नष्ट होने वाले समय से बचने के लिये व भारत सरकार के डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहित करने के क्रम में आम जनमानस भी जिनके पास एन्ड्राइड मोबाइल उपलब्ध है आँन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे हैं लेकिन इस कार्य में जरा सी असावधानी होने पर कई लोग साइबर ठगी का शिकार भी हो रहे है। अतः आँन-लाइन बैंकिंग सेवा का लाभ ले रहे व्यक्तियों को यह जानकारी जरुरी है कि कैसे-कैसे हम साइबर ठगी का शिकार हो सकते है और क्या सावधानी अपनायें की साइबर ठगी से बचा जा सके। जनपदीय साइबर सेल द्वारा लगातार लोगों को साइबर अपराध से बचाव हेतु जागरुक किया जाता हैं एवं साइबर अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर पीड़ितों की शिकायत दर्ज कर अथक प्रयास करते हुये सम्बन्धित बैंंकों से समन्वय स्थापित कर पीड़ितों की धनराशि वापस करायी जाती है।

नोट- किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर हेल्पलाइन नं0 1930 पर तुरंत क़ॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर कम्पलेंट रजिस्टर करें या अपनें थाना के साइबर हेल्प डेस्क / जनपदीय साइबर सेल को तत्काल सूचना दें।

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय सिविल जज जूनियर डिवीजन सुश्री विदुषी मेहा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 311/2018 धारा 279,337 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजकुमार रिछारिया पुत्र श्री महेश कुमार निवासी तीर्थराजपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 1500 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।